(a) whether Government have formulated schemes to encourage sports in rural areas, such as swimming pools, building sports complexes, indoor stadia and many other facilities and incentives to sportsmen;

(b) if so, the number of individuals who have been benefited during the last three years;

(c) how many sports complexes, swimming pools, stadia were erected in each State; and

(d) what amount has been spent under the different schemes during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPTT. OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI R. DHANUSHKODI ATHITHAN): (a) Yes, Sir.

(b) Under the Department's various incentive schemes, a number of sportsmen were given pension, awards and cash prizes with a view to encouraging them as well as promoting sports in the country. In particular, during the last three years, 182 sports-persons were given monthly pension at the rate of Rs. 2000/- and Rs. 1500/- for winning medals in the Olympic Games and Asian Games respectively; 4 sportsmen were conferred with the honour of the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award and 293 sportsmen were given Special Awards in the shape of cash prize money for their outstanding achievements at various international sports events.

(c) and (d) The requisite information is given in the Annexure-I. (See Appendix 178, Annexure No. 21).

गुजरात में बागवानी फसलों का विकास

689. **श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला:** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में किन्हीं ऐसे क्षेत्रों का चुनाव किया है, जहां पर निर्यात किए जाने की संभावना रखने वाली उद्यान-कृषि की फसलों का विकास किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उद्यान-कृषि से संबंधित ऐसी फसलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी फसलों का प्रचार-प्रसार करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न नहीं होता। तथापि, सरकार राज्य योजन तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत फलों, पुष्पं तथा मसालों सहित विभिन्न ऐसी फसलों के विकास के लिए जिनमें निर्यात की सम्भावना है, सहायता प्रदान कर रही है। इस सहायता में फसलों की उत्पादकता व गुणवत्त में सुधार करने तथा निर्यात सहित फसलोपरान्त प्रबन्ध और विपणन हेतु मूलभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन शामिल हैं।

Review of the District Primary Education Programme

690. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have reviewed the District Primary Education Programme and the assessment of the organisation implementing it; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPTT. OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) and (b) The District Primary Education Programme provides for inbuil review and assessment mechanism through receipt of periodical reports from State Implementing Societies and also through quarterly supervision systems. The supervision reports have generally expressed satisfaction over the implementation of the programme. So far, DPEP has been able to set up the project infrastructures at District, State and National level, initiate the process of enviromen building and microplanning in the Districts and commence the tasks of renewal of teaching learning practices etc.

बाढ़ के कारण हुआ जान और माल का नुकसान

691. **श्री रामजीलाल:** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण जान और माल को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और

(ग) इस संबंध में प्रत्येक राज्य को केन्द्र सरकार ने अब तक कितनी राहत-राशि प्रदान की है और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग) देश के विभिन्न भागों में हाल ही में आई बाढ़ के कारण हुई जान तथा माल की हानि की सीमा और वर्ष 1996-97 में प्रभावित राज्यों को आपदा राहत निधि के केन्द्रीय अंश के तौर पर निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (**नीचे देखिए**) राज्य सरकार क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत तथा पुनरूद्धार के लिए सभी आवश्यक राहत प्रदान करती रही हैं तथा उपाय भी करती रही हैं।

विवरण

देश के विभिन्न भागों में हाल ही में आई बाढ़ के कारण हुई जान-माल की हानि की सीमा और वर्ष 1996-97 में प्रभावित राज्यों को आपदा-राहत निधि से केन्द्रीय अंश के तौर पर निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं॰	राज्य	प्रभावित क्षेत्र (लाख है॰ में)	मृत व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख है॰ में)	नष्ट हुए मकानों की संख्या	1996-97 के लिए निर्मुक्त आपदा राहत निधि का केन्द्रीय अंश (रु॰ करोड़ में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.15	100	0.15	21517	46.570*
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	02	-		2.640
3.	असम	4.61	12	1.82		18.755
4.	गुजरात	18.22	54	0.03	50849	52.350
5.	हरियाणा	0.33	14	0.15	12083	9.395
6.	जम्मू एवं कश्मीर	0.58	39	0.45	17049	7.390
7.	कर्नाटक	-	106	-	3248	15.695
8.	केरल	0.28	32	0.21	10734	20.775**
9.	महाराष्ट्र	-	114		1611	25.575
10.	पंजाब	-	4			20.305
11.	राजस्थान	3.28	111	0.46	104513	100.710
12.	तमिलनाडु	0.05	54	0.05	38296	22.255
13.	त्रिपुरा	-	7			1.685
14.	उत्तर प्रदेश	1.26	51	0.62	21589	46.920
15.	पश्चिम बंगाल	-	12		150	9.245
	योग :	28.76	747	3.94	281684	

*1995-96 के दौरान अग्रिम तौर पर जारी एक किश्त शामिल है।

**1995-96 के दौरान अग्रिम तौर पर जारी किया गया।

Suspension of the system of "Telescopic Fare"

692. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the MINISTER OF RAILWAYS be pleased to state:

(a) the reasons for the suspension of the system of "Telescopic Fare" in south Central Railways in Andhra Pradesh;

(b) whether Railways are aware that "telescopic fare" is the rule in all other railway system in the world; and

(c) the steps proposed to be taken to revive the system of "telescopic fare" for the benefit of passengers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL